One held under liquor drive

CHANDIGARH: A case under Section 68-1(B) of the Punjab Police Act 2007 and 510 of the Indian Penal Code has been registered at Sector 49 police station, Chandigarh, against one person who was arrested while consuming liquor at public place. However, later he was released on bail. Investigation into the case is underway. The drive will continue in future, the general public is requested not to break the law, said an official concerned. *DP*

Daily Post Dt: 11/07/2018

One arrested under NDPS Act

CHANDIGARH: The Chandigarh police arrested Balinder, resident of Sector 26, Chandigarh, near EWS flats, BDC, Sector 26, Chandigarh, and recovered one Kg and 310 grams of Ganja from his possession. A case under Section 20 NDPS Act has been registered at Sector 26 police station, Chandigarh. Investigation into the case is on. *DP*

Daily Post Dt: 11/07/2018

Action against gambling

CHANDIGARH: The Chandigarh police arrested Gurnam Singh, resident of Hallo Majra, Rinku, resident of Phase 1, Ram Darbar and Manwar, resident of Hallo Majra, Chandigarh, while they were gambling near Meat market, Hallo Majra, Chandigarh and recovered cash worth Rs 3,550/- from their possession. A case under Sections 13-3-67 of the Gambling Act has been registered at Sector 31 police station, Chandigarh. However, later they all were released on bail. Investigation into the case is on. *DP*

Daily Post Dt: 11/07/2018

Man held in robbery case

Chandigarh: The local police have arrested a person for robbing a man of his purse in Mani Majra. The complainant, Sanjeev of Sector 20, Panchkula, told the police that an unidentified person robbed him of his purse containing Rs 600 in cash and documents near the Dhir transport, Mansa Devi road, Mani Majra. Thereafter, the police arrested the accused, identified as Abdul Kadir. A case has been registered at the Mani Majra police station. TNS

CRIME FILE

One arrested with ganja

Chandigarh: The police have arrested a person with 1.310-kg ganja. The accused has been identified as Balinder, a resident of Phase-I, Bapu Dham Colony. The police said the accused was arrested near the EWS flats in Sector 26. A case has been registered at the Sector 26 police station. TNS

KHALSA CO
(Asr) of Technology & Business Stu
Phase 3A

छात्राओं को हेलमेट पहनने के लिए साझा अभियान

जागरूकता

■ ट्रैफिक के प्रति भी बताए गए नियम

आज समाज नेटवर्क

चंडीगढ़। प्रशासन की ओर से महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की जारी की गई मोटिवेशन के बाद चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार से स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की इंस्पेक्टर सीता देवी ने सेक्टर-44 के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैं जा कर स्कूल के बच्चों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दे छात्राओं को बताया गया कि हेलमेट पहने हेलमेट ना पहनने से क्या नुकसान होता है । उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के प्रति जो भी नियम बताएं गए उन्हें हमें पूरे ढंग से फॉलो करना है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट पहनने का अभियान स्कूल और कॉलेजों में आए दिन लगाता जारी रहेगा जो कि खास तौर पर छात्रं को हेलमेट पहनने के प्रति जागरुव किया जाएगा।

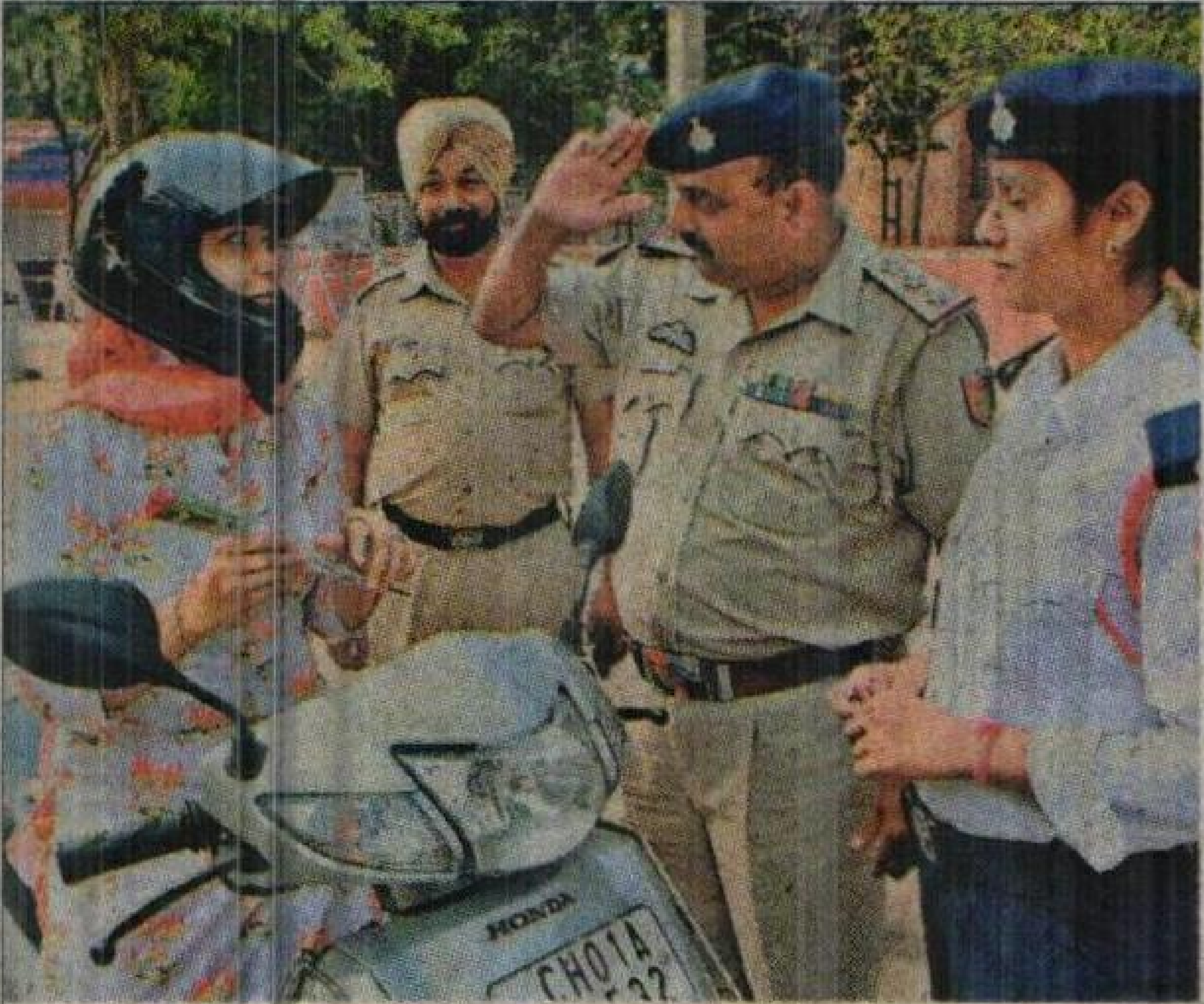

हेलमेट पहनने के लिए छात्रा को सैल्यूट करते इंस्पेक्टर दिलसेर।

Aaj Samaj Dt:11-07-2018

चंडीगढ़। सेक्टर-44 स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को दुपहिया चलाने के दौरान हेलमेट पहनने की महत्ता और ट्रैफिक नियमों की जानकारी देतीं चंडीगढ़ पुलिस की अधिकारी।

Amar Ujala Dt:11-07-2018

लूटपाट के एक आरोपी को दबोचा

मनीमाजरा। माता मनसा देवी सड़क पर सोमवार देर शाम को मारपीट कर पंचकूला सेक्टर-20 निवासी संजीव से लूटपाट करने वाले दो आरोपियों में से एक को मनीमाजरा पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मनसा देवी सड़क पर बनी झुग्गियों में रहने वाले अब्दुल कादिर के रूप में हुई है। मनीमाजरा थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि अब्दुल कादिर ने सोमवार देर शाम अपने एक अन्य साथी के साथ मनसा देवी रोड से जा रहे संजीव को धीर रोडवेज के पास मारपीट कर उसका पर्स लूट लिया था। पर्स में 600 रुपये थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड लिया है।

Amar Ujala Dt:11-07-2018

किराएदार महिला के साथ मारपीट के बाद छेड़छाड़ मामले में 3 साल की कैद

चंडीगढ़, 10 जुलाई (मनोज): जिला अदालत ने मकान मालिक सैक्टर-37सी निवासी मंजीत सिंह (52) को किराएदार महिला से मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ने के बाद उससे छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सैक्टर-31 थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

थाना पुलिस में दी शिकायत में सैक्टर-37 निवासी महिला ने कहा था कि उनका और उनके मकान मालिक मंजीत सिंह का मकान के विवाद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। 14 अगस्त 2013 को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसका मकान मालिक मंजीत सिंह, पिता राम चंद्र और एक अन्य परमजीत सिंह के साथ शराब के नशे में उनके घर पहुंचे। इसके बाद मंजीत ने उससे कहा कि उन्होंने अदालत में केस जीत लिया है और वह अब उनका घर खाली कर दे। साथ ही उससे गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। महिला ने विरोध किया तो मंजीत और अन्य ने उससे मारपीट शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। वहीं तीनों ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ तक की। इसी दौरान उसके पति वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले तीनों आरोपी वहां से भाग गए। बाद में थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

दैनिक सवेरा
Wed, 11 July 2018
dainiksaveratimes.epapr.in/c/30

कबूतरबाजी के नाम पर स्टूडेंट्स को ठगने वाला दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा

मनोज अपरेजा | चंडीगढ़

फर्जी दस्तावेज पर स्टूडेंट्स से भारी भरकम पैसा लेकर फर्जी वीजा लगवाने के आरोपी चंडीगढ़ सेक्टर-8 में लॉ चेंबर इमिग्रेशन कंपनी चलाने वाले विनायक महेश्वरी को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में स्टूडेंट्स अमनदीप और अर्जुन ठाकुर जो चंडीगढ़ पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल का बेटा है, अजीत अंजन को भी फर्जी वीजा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पेरेंट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने विनायक को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। विनायक ने सेक्टर-8 में कैनेडा का वीजा लगवाने के लिए जॉब फेयर लगाया। स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाने के नाम पर किसी से 6 लाख तो किसी से 10 लाख रुपए लिए थे। उसने 90 लोगों से पैसा लेकर वीजा लगवाने का आश्वासन दिया था। अनुमान लगाया जा रहा है उसने करोड़ों रुपए की ठगी की थी। उपरोक्त तीन स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन ने जब डॉक्यूमेंट चेक किए तो फेक पाए गए। तीनों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विनायक को बुलाकर गिरफ्तार किया। पूनम दिलावरी, एसएचओ सेक्टर-3 थाना ने कहा कि मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है। इसलिए कार्रवाई वहीं होगी। मामले में आरोपी अर्जुन ठाकुर के मोबाइल से और स्टूडेंट्स को वीजा लगवाने के लिए मैसेज भेजे गए। इस की जाचं की जा रही है।

Dainik Bhaskar Dt:11-07-2018

बिना हेलमेट ड्राइविंग तो दूर, बाइक एक्टिवा पर पीछे भी नही बैठेंगी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हेलमेट के प्रति अवेयरनेस के बाद मंगलवार को स्टूडेंट्स ने प्रतिज्ञा ली कि वे बिना हेलमेट ड्राइविंग तो दूर बाइक-एक्टिवा के पीछे भी नही बैठेंगी।

चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के बाद ट्रैफिक पुलिस जागरूकता फैला रही है। इसी कड़ी के तहत मंगलवार को चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की टीम सेक्टर-32 स्थित एसडी स्कूल और सेक्टर-44 स्थित गर्वनमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंची और

वहां की स्टूडेंट्स को फीचर स्टोरी, शार्ट मूवी और गानों से जागरूक किया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से टीम का नेतृत्व महिला इंस्पेक्टर सीता देवी कर रही है। इस दौरान स्टूडेंट्स ने टीम से चालान का रेट, क्या लाइसेंस सस्पेंड होने का भी प्रावधान है जैसे सवाल भी पूछे। कुछ लड़कियों ने पूछा कि क्या पीछे बैठने वाली महिला-युवती को भी हेलमेट जरूरी है? उसके जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पहली और दूसरी बार में 300 का चालान व तीसरी बार में 1000 रूपये के चालान सहित लाइसेंस भी सस्पेंड होने का प्रावधान है। बाइक-एक्टिवा पर सवार दोनों लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य है।

Dainik Jagran Dt:11-07-2018